

सेवा में

श्रीमान अमित शाह जी
 माननीय गृह मंत्री भारत सरकार
 गृह मंत्रालय नई दिल्ली - 110001

विषय: ज्ञापन

महोदय,

आज हम समस्त पटेल नगर के प्रेम नगर, नेहरू नगर, पंजाबी बस्ती बलजीत नगर के वासी बहुत ही भारी मन से सङ्क पर उत्तर क्र भीख मांगने को मजबूर हुए हैं हमारी विवेषता यह है कि विभागों में फैला भ्रस्टाचार अब हम लोगों के भविष्य को खराब करने कि कोशिश करने लगा है। अब हमारी स्थिति यह समझ में आने लगी है कि “न हम घर के रहे न ही घाट की”।

जहां देश में आज हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी हर परिवार को घर देकर देश के हर व्यक्ति को छत प्रदान करने में अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं वही जहां हमारे प्रिय प्रधान मंत्री महोदय जी रहते हैं जहां से वे पुरे देश का नेत्रित्व कर रहे हैं उसी दिल्ली के पटेल नगर में क्षेत्रीय पार्षद, विधायक, सांसद के कुछ लोभी और दलाल किस्म के कार्यकर्ताओं के साथ डी.डी.ए. दिल्ली पुलिस के सहयोग से लोगों का जीना दूभर कर दिए हैं। डी.डी.ए. के अधिकारी चाहे वे तहसीलदार हो, पटवारी हो, कानून - गो हो या फिर और उच्चाधिकारी इन लोगों द्वारा इस समय क्षेत्र में भ्रस्टाचार को इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि हम लोग घुट - घुट कर जीवन जीने को मजबूर हैं और आज यही मजबूरी हमे सङ्को पर खींच लायी है।

डी.डी.ए. के अधिकारियों की करतृत कुछ इस प्रकार है:

1. डी.डी.ए. के अधिकारी पहले पैसे लेकर लोगों के घर बनवाते हैं उसके बाद फिर बारंबार लोगों को तोड़ने कि धमकी देकर पैसे कि उगाही करते हैं।
2. डी.डी.ए. के जिस गार्ड की जिम्मेदारी जगह को बचाने की है वह खुद कुछ भू - माफियाओं के साथ मिलकर आज प्रापर्टी डीलर बन बैठा है।
3. डी.डी.ए. का जिस जमीन को लेकर रामजस फाउंडेशन के साथ माननीय कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उस जगह पर भी अपनी मनमानी करने से गुरेज नहीं कर रहा है।
4. डी.डी.ए. लोगों को परेशान करके उगाही करने के लिए क्षेत्र के कुछ शिकायत कर्ता को चिन्हित कर बैठे हैं जिनके शिकायत की फाइल बनाकर लोगों को धमकाते हैं कि अब तुम्हारा मकान बुक हो गया है जिसका ढूटना तय है जिससे लोग मजबूर होकर इन भ्रस्टाचारियों को चढ़ावा चढ़ाने को मजबूर हैं।
5. डी.डी.ए. कि जिस जगह को बचाने के लिए क्षेत्र के कुछ समाज सेवक जहां भूख हड़ताल पर बैठे अनशन किये और उस अनशन को ट्रेनिंग पर आये एक आई पी एस द्वारा नारियल पानी पिलाकर इस भरोशे पर तुड़वाया गया कि इस जगह पर कोई निर्माण नहीं होगा और डी.डी.ए. द्वारा इसको घेरवा दिया जाएगा आज उस जगह को भू - माफियाओं द्वारा कब्जा करवाया जा रहा जिसका लगभग 50% जगह कब्जा भी करवा दिया गया जिसको डी.डी.ए. नहीं बचा पाई।
6. डी.डी.ए. के अधिकारी / गार्ड किसी भी व्यक्ति को तब तक निर्माण काम नहीं करने देते हैं जब तक कि उनको उस जगह के बदले मोटी रकम न मिल जाय क्योंकि डी.डी.ए. के अधिकारियों का कहना होता है कि यह जगह सरकारी है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है लेकिन जैसे ही उनको उनका मुंह माँगा मिल जाता है वह जगह उस व्यक्ति की हो जाती है जिसको वहां निर्माण करना है।
7. प्रेम नगर रेलवे फाटक पर एक दबांग महिला द्वारा सङ्क कब्जा कर लिया जा रहा है वह भी मात्र इस लिए कि उन लोगों के संरक्षक क्षेत्र के पार्षद है।

दिल्ली पुलिस के लोगों की करतूत कुछ इस प्रकार है:

1. जब कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से घर बनाना शुरू करता है तो पुलिस के लोगों का उस व्यक्ति को धौंस देना शुरू हो जाएगा कि इस जगह पर भूलकर भी निर्माण काम मत करना यह सरकारी जमीन है, अब वह मकान तब तक नहीं बनना शुरू हो सकता जब तक साहब लोगों कि बात उस व्यक्ति द्वारा मान न ली जाय, जैसे ही पुलिस की बात मान ली जाती है वह सरकारी जमीन निजी जमीन हो जाती और उस जगह पर निर्माण काम भी धड़ल्ले से होने लगता है।
2. हम यह नहीं कहते कि हर पुलिस का अधिकारी या सिपाही भ्रष्ट है परन्तु इतना जरूर कह सकते हैं कि अधिकतर लोग इस भ्रष्ट तंत्र में लिप्त हो चुके हैं जिससे कभी - कभी ऐसा लगता है ये अब दिल्ली पुलिस प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगी है।

एम.सी.डी. के लोगों की करतूत कुछ इस प्रकार है:

1. जहाँ विकास कार्य करने की बात आती है कि मोहल्ले में नाली, सीवर, सड़क या फिर सफाई की बात करने की तो एम. सी. डी. के लोग कहते हैं कि यह तो झुग्गी है यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता परन्तु जैसे ही कोई व्यक्ति अपना मकान बनाने लगता है इस विभाग के लोग बिना समय गवाए उस जगह पर पहुँच कर धमका कर वसूली करते हैं जिससे लोग मजबूर और लाचार है आज सड़क पर उतरने के लिए।
2. शुरू में जब घर बन रहा होता है तब आगर एम सी डी को लोग संतुष्ट ना करें तो मकान बन जाने के बाद उस मकान का फोटो खीचकर ये लोग उस व्यक्ति को धमकाते हैं कि आगर अब भी नहीं माने और पैसा नहीं दिए तो तुम्हारा यह मकान तोड़वा दूंगा, फिर मजबूर होकर इनको पैसा देना पड़ता है।

स्लम विभाग / DUSIB के लोगों का करतूत इस प्रकार है:

1. इस विभाग के लोगों का भी चक्कर लगता है क्योंकि इस विभाग के लोगों को तो लाइसेंस मिला हुआ है झुग्गी झोपड़ी का विकास करने की इसलिए इनको भी चढ़ावा चढ़ाना चाहिए जबकि इस विभाग को भ्रस्टाचार करने के लिए प्रोत्साहन में इस विभाग का नाम "वर्ड रिकार्ड ऑफ़ पिनीज बुक" में दर्ज करवाना चाहिए जिसका जीता जागता उदाहरण है पंजाबी बस्ती में 98 लाख का बोगस पेमेंट।

हमारी मुख्य मांगे

1. डी.डी.ए वेस्टर्न ज़ोन सुभाष नगर के गार्ड, तहसीलदार, नायब, पटवारी (जो लोग आनंद पर्वत थाना अन्तर्गत और पटेल नगर थानान्तर्गत आने वाला मोहल्ला आनन्द पर्वत, टाली वाली बस्ती, पंजाबी बस्ती, पंजाबी बस्ती बलजीत नगर, नेपाली मन्दिर, गुलशन चौक, नेहरु नगर, प्रेम नगर और बलजीत नगर के जिम्मेदार अधिकारी या गार्ड हैं) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए इनकी सम्पत्ति कि जांच सी.वी.आई. से करवाई जाय और जब तक जाँच पूरी न हो तब तक इनको छुट्टी पर भेजा जाय जिससे ये अधिकारी लोग जांच को प्रभावित न कर सकें।
2. डी.डी.ए. अपनी अब से खाली पड़ी जगह को अपने कब्जे में लेकर कम से कम उसको बचा ले।
3. जिस जगह पर लोग बस चुके हैं उनको डी.डी.ए.एम.सी.डी. दिल्ली पुलिस व स्लम (DUSIB) के लोगों द्वारा परेशान न किया जाय और ना ही उनके मकानों को तोड़ने कि धमकी दी जाय क्योंकि जो भी लोग उपरोक्त क्षेत्र में बसे हैं वे किसी तरह से गाँव का खेत धर्म पत्नी का गहना बेच कर मकानों को बनाकर रह रहे हैं अब आगर उनके मकानों को तोड़ा गया तो यह गलत होगा क्योंकि आगर उस जगह को तोड़ना ही था तो भ्रस्टाचार करके उनको बसाया ही क्यों गया।

4. डी. डी. ए. के जो भी अधिकारी अपनी ड्यूटी को निभाने में लापरवाही किये हैं उनको अबिलम्ब निलम्बित किया जाय क्योंकि आगर आज ये लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से किये होते तो न किसी प्रकार का कब्ज़ा लोगों द्वारा करके गरीबों को बेचा गया होता और ना ही आज उन गरीबों को उनके घर टूटने का डर सताता।
5. वेस्टर्न - ज़ोन सुभाष नगर में कार्यरत डी. डी. ए. के गार्ड, पटवारी, नायब तहसीलदार कानून - गो के साथ जो भी लोग जिम्मेदार हो उनको अबिलम्ब निलम्बित किया जाय।
6. अगर कोई व्यक्ति अपने मकान का मरम्मत कर रहा हो या उसी जगह को बना रहा हो तो उसको सरकारी विभागों द्वारा परेशान करके भ्रस्टाचार को बढ़ावा न दिया जाय।
7. किसी भी मोहल्ले का एक मकान तोड़कर लोगों में दहशत फैला कर भ्रस्टाचार को बढ़ावा न दिया जाय आगर तोड़ना ही हो तो पूरा मोहल्ला तोड़िये वह भी जिन - जिन का मकान है उनको विस्थापित करने के बाद क्योंकि हमारे प्रिय प्रधान मंत्री जी का सपना है कि हर व्यक्ति को मकान देने की। जिसका पालन हर सरकारी एजेंसी अनुशासनात्मक तरीके से करें।
8. विस्थापन के बाद जिस मोहल्ले को तोड़ना हो वहां के लोगों को कम से कम 15 दिन पहले नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाय।
9. डी. डी. ए. सबसे पहले अपनी जगह को चिह्नित करें कि उसकी जगह कहाँ तक है क्योंकि उपरोक्त क्षेत्र में बहुत सी ऐसी जगह है जो डी. डी. ए. के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जिसके लिए डी. डी. ए का मुकदमा भी चल रहा है।
10. दिल्ली पुलिस के लोग किसी के मकान के चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बजाय क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने में अपना सहयोग करें।
11. दिल्ली की तीनों ईमानदार सरकारों (एम.सी.डी., दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार) के नेत्रित्व कर्ताओं से हम सबका विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से आप लोग अपने आपको ईमानदार घोषित करने की होड़ में लगे हुए उसको धरातल पर दिखाते हुए अपने अपने सरकारी विभागों में फैले भ्रस्टाचार पर अंकुश लगाने की कृपा करें क्योंकि आज के दौर में बिना रिश्वत के किसी भी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है।

हम उम्मीद करते हैं कि आप द्वारा हमारी सब मांगे मानी जाएंगी और बिना विस्थापित किये उपरोक्त मोहल्ला (प्रेम नगर, नेहरू नगर और पंजाबी बस्ती बलजीत नगर) में कोई तोड़ फोड़ नहीं की जाएंगी और भ्रस्टाचार रिश्वत खोरी पर अबिलम्ब अंकुश लगाया जाएगा।

धन्यवाद

भवदीय

एस. के. चौबे

पवन कुमार पाण्डेय

दिलीप कुमार गुप्ता

पता : स्वराज इंडिया कार्यालय, प्रेम नगर रेलवे फाटक, प्रेम नगर, पटेल नगर नई दिल्ली - 110008

सम्पर्क सूत्र : 8800909190, 8860464550, 9213949625